

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 मई 2021 — वैशाख 20, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक 4883/1369/इक्कीस-ब/छ.ग./21. — स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 4298/तीन-6-1/2001 (भाग-दो), दिनांक 08-04-2021 के अनुपालन में, एतद्वारा, अनुसूची के कॉलम-3 एवं 4 में उल्लिखित प्रविष्टियों के संबंध में, इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम क्र. (3) में उल्लिखित अधिकारियों को, कॉलम क्र. (4) में उल्लिखित तत्संबंधी स्थानों के लिये, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 (2) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, अर्थात्:-

1. स.क्र.	2. जिले का नाम	3. एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय अधिसूचित किये जाने हेतु अनुशंसित न्यायालय का नाम	4. अधिकार क्षेत्र
1.	बलौदाबाजार	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार	सिविल जिला बलौदाबाजार
2.	बलरामपुर-रामानुजगंज	सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज	सिविल जिला बलरामपुर, मुख्यालय रामानुजगंज
3.	जगदलपुर बस्तर	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर बस्तर	सिविल जिला जगदलपुर बस्तर
4.	बिलासपुर	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर	सिविल जिला बिलासपुर
5.	दुर्ग	चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग
6.	जांजगीर-चांपा	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर	सिविल जिला जांजगीर-चांपा
7.	कोरबा	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा	सिविल जिला कोरबा
8.	महासमुंद	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद	सिविल जिला महासमुंद (सरायपाली क्षेत्र को छोड़कर)

1.	2.	3.	4.
9.	रायपुर	दशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर	सिविल जिला रायपुर
10.	राजनांदगांव	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव	सिविल जिला राजनांदगांव
11.	सूरजपुर	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर	सिविल जिला सूरजपुर
12.	अंबिकापुर सरगुजा	विशेष न्यायाधीश (अनु. जा./ अनु. ज.जा.), अंबिकापुर	सिविल जिला अंबिकापुर सरगुजा
13.	उत्तर बस्तर कांकेर	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ. टी.सी.) कांकेर	सिविल जिला उत्तर बस्तर कांकेर

F. No. 4883/1369/XXI-B/C. G./21. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, (No. 61 of 1985) the State Government, in concurrence with the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh and in compliance of High Court of Chhattisgarh's Memo No. 4298/III-6-1/2001(Pt.-II) dated 08-04-2021, hereby, makes the following order further to amend this department's previous notification, relating to the entries mentioned in Column-(3) & (4) of the schedule namely :-

AMENDMENT

In the schedule of the said Notification, officers mentioned in column No. (3) are appointed as Special Judge under section 36 (2) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, (No. 61 of 1985), at the corresponding places mentioned in column No. (4) of the said schedule, namely:-

1. S.No.	2. Name of District	3. Name of recommended court for notifying as Special Court under NDPS Act	4. Jurisdiction
1.	Balodabazar	I Additional Sessions Judge, Balodabazar	Civil District Balodabazar
2.	Balrampur-Ramanujganj	Sessions Judge, Ramanujganj	Civil District Balrampur headquarter at Ramanujganj
3.	Bastar at Jagdalpur	III Additional Sessions Judge, Bastar at Jagdalpur	Civil District Bastar at Jagdalpur
4.	Bilaspur	III Additional Sessions Judge, Bilaspur	Civil District Bilaspur
5.	Durg	IV Additional Sessions Judge, Durg	Civil District Durg
6.	Janjgir-champa	I Additional Sessions Judge, Janjgir	Civil District Janjgir- Champa
7.	Korba	I Additional Sessions Judge, Korba	Civil District Korba
8.	Mahasamund	I Additional Sessions Judge, Mahasamund	Civil District, Mahasamund (except Saraipali area)
9.	Raipur	Xth Additional Sessions Judge, Raipur	Civil District Raipur
10.	Rajnandgaon	I Additional Sessions Judge, Rajnandgaon	Civil District Rajnandgaon
11.	Surajpur	III Additional Sessions Judge, Surajpur	Civil District Surajpur
12.	Surguja at Ambikapur	Special Judge (SC/ST) Ambikapur	Civil District Surguja at Ambikapur
13.	Uttar Bastar Kanker	Additional Sessions Judge (FTC) Kanker	Civil District Uttar Bastar Kanker

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.